न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/336
मुकदमा नम्बर 101/2025 दर्ज दिनांक– 23.06.2025

भगवान सिंह पुत्र मंशाराम जाति जाट निवासी ग्राम हिम्मतपुरा तन देवगांव नूआ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जंरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री आन्नदीलाल सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 16.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम हिम्मतपुरा तन देवगांव नूंआ तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 55 पुराना 48 के अंन्तर्गत भूमि खसरा नं. 132 रकबा 2.79 है0 के राजस्व नक्शा जो सेग्रीगेशन के दौरान गलत कर दिया गया को पूर्व लठ्ठे के अनुसार शुद्व/तरमीम किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8701 दिनांक 14.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8701 दिनांक 14.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम हिम्मतपुरा तन देवगांव नूंआ तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 55 पुराना 48 के अंन्तर्गत भूमि खसरा नं. 132 रकबा 2.79 है0 के राजस्व नक्शा जो सेग्रीगेशन के दौरान गलत कर दिया गया को पूर्व लठ्ठे के अनुसार शुद्व/तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8701 दिनांक 14.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू